

ICICI Bank Branch
 Council पत्रक 239

File No - 4740
 Fee - 1700/-
 दिनांक 22.7.2021

अनुसूचित 12-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति - अवधार प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 5814 आवेदन सं०.....
 व्यक्ति: श्री. P. Kumar Manwari Agrawal ने मेरे पास आवेदन किया है
 कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संख्यवहारों और अवमानों का सविवरण मान-पत्र दिया जाय।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संख्यवहारों और अवमानों के बारे में
 वही 1 सं० और उसे संबंध अनुक्रमणियों में ता० 1.1.2005 तक तलाशी की गई और
 ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यवहारों और अवमानों का पता चला है :-
 NIL

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन का तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पदों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश			
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ	
	Maharaj Tharam Council 229	208/657	Plot No 443 Hejaling NO 0130000357000A1			Area 1 Bigha 9 KATHA OR 56.198			

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (ख) 1 बंधक-पत्र के साथ दस्तावेजों में समाज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बरात कि उनके बारे में उल्लेख हो।
 2 पट्टे की दिशा में पट्टे की अवधि और बंधक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त सव्यवहार और अवधारणों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अवधारण का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने (तलाशी की और) प्रमाणित तैयार किया:-

(हस्ताक्षर)

आनन्दप्रसाद
शिवपुरी

(पदनाम)

~~तलाशी की~~ सत्यापन/और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)

शिवपुरी

(पदनाम)

कार्यालय

तारीख 22.7.2021



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
22.7

टिप्पणी-(1)

इस प्रमाणपत्र में जो सव्यवहार और अवधारण दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को विवेचित दस्तावेज में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2)

निबंधन अधिनियम की धारा 56 के अर्थात् जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हों, अथवा उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं का ना होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रखे दी जायेगी।

(क)

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने मसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख)

और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़ गये सव्यवहारों और अवधारणों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़ गये सव्यवहारों और अवधारणों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।